

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 1(1)(148)निमअ/स्था/2020/

जयपुर, दिनांक

आदेश

सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, करौली के रिक्त पद का कार्यभार श्री रामनिवास, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई, करौली के पास अतिरिक्त कार्यभार था, के स्थान पर अतिरिक्त कार्यभार उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, करौली को दिया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. आभा जैन)
अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांक एफ 1(1)(148)निमअ/स्था/2020/ 31637-645 जयपुर, दिनांक 31-12-2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, मबावि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता मुख्यालय।
4. निजी सचिव, जिला कलेक्टर, करौली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली।
6. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, करौली।
7. श्री प्रभाती लाल जाट, उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, करौली।
8. श्री रामनिवास यादव, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण ईकाई, करौली।
9. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय साईट पर अपलोड करने बाबत।
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.